छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14 मार्च, 2020

क्रमांक–एफ 10–8/2020/29–1/खाद्य:: राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु समुचित सुरक्षात्मक उपाय करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न/राशन सामग्री वितरण में आधार प्रमाणीकरण को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात उक्त अवधि तक खाद्यान्न/राशन सामग्री वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों का बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नहीं किया जावेगा।

अतः राज्य के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक खाद्यान्न/राशन सामग्री का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से न करते हुए टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा ओ.टी.पी. (वन टाईम पासवर्ड) के माध्यम से किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह),
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक एफ 10–8/2020/29–1/खाद्य/ अटल नगर, दिनांक 14 मार्च, 2020

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. आयुक्त, खाद्य संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. संभागायुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा, छत्तीसगढ़।
4. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ।
5. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

Scanned with CamScanner